न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

गिरधारी बनाम रामनारायण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दावा मु.नं. - 134/23	
26-7-24	पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश हेतु आज पेश हुयी। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर वादपत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विवेक विभाजन प्रस्ताव दरेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कार्यवाही करें। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुदा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.27 10:41:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
134 / 2023	2023 / 0254	11.08.2023	26.07.2024 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

गिरधारी पुत्र मांगू आयु 64 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम मानगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

-----वादी--

बनाम्

1. रामनारायण पुत्र मांगूराम आयु 53 वर्ष
2. कृष्ण पुत्र मांगूराम आयु 50 वर्ष
3. सुरेश कुमार पुत्र मांगूराम आयु 47 वर्ष

   समस्त जाति माली निवासी ग्राम मानगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.

4. पटवारी पटवार हल्का जुगराजपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

   उपपंजियक अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

   लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

----प्रतिवादीगण--

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.27 10:41:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपस्थित:–

श्री विक्रम सिंह बांकावत, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 07 की ओर सें।

दावा बाबत बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 397 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 398 रकबा 3.98 हैक्टर, खसरा नम्बर 438/2 रकबा 0.55 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.67 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम मानगढ पटवार हल्का जुगराजपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के हिस्सा 7/24 भाग का वादी, हिस्सा 7/24 का प्रतिवादी नम्बर 1, हिस्सा 1/8 का प्रतिवादी नम्बर 2, हिस्सा 3/24 का प्रतिवादी नम्बर 3 रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि अर्सा कदीम हुये बाह्मी बंटवारा अनुसार मौके पर वंटी चली आ रही है। वादी के हक हिस्से व बाह्मी बंटवारे में आई कब्जा काश्त की भूमि को संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित किया गया हैं। जिसमें वादी आवासीय मकानात, पशुओ का बाडा टयुबवेल आदि बनाकर व अपने कब्जा काश्त की भूमि भी अलग से मेडबंदी व तारबंदी आदि करके पूर्णतया काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त वर्णित बंटवारा एवं संल[illegible] वादी मौके पर काबिज काश्त हैं। वादी ने बाह्मी बं[illegible] व अधिकार में आयी अपनी भूमियों में अलग से सींव नी[illegible] लगाकर अलग से सीमाओ से सुरक्षित कर रखा है तथा मौके पर अपनी हक [illegible]स्से व अधिकार की भूमिया को

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.27 10:41:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वर्तमान स्वरूप में कई लाखो रूपये खर्च कर उन्नत एवं उपजाउ विकसित कर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं। जिसमें किसी भी प्रकार की दखल एवं खलल करने के कानूनी अधिकार प्रतिवादीगण को नही है, ना ही बाह्मी बंटवारा भंग कर वादी की भूमियों को खुर्द–बुर्द, रहन, व्ययन करने के कानूनी अधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त है तथा ना ही नींव सींव को तोडकर भूमियो पर जबरन कब्जा करने के अधिकार प्रतिवादीगण को संयुक्त खातेदारी की आड में प्राप्त हैं। वादी अपनी भूमियों की खातेदारी बाह्मी बंटवारा के अनुसार भी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम अलग से दर्ज करवाने का कानूनन अधिकारी है। उक्त वर्णित कृषि भूमियों का बंटवारा संलग्न नजरी नक्शे अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी के अलग से नाम दर्ज नही हुयी है तथा ना ही राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेशा में अलग से अंकन हुआ है। इसके अभाव में वादी अपनी भूमियों का जो एक खातेदार काश्तकार को सुविधाये उपलब्ध होती है। उनको प्राप्त करने के लिये वंचित हो रहे है तथा अपनी भूमियो का समुचित विकास करने में कठिनाईया आ रही है। इसलिये बाह्मी बंटवारे के अनुसार अपने हक हिस्से एवं अधिकार की भूमियो की खातेदारी अलग दर्ज कराया जाना आवश्यक है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को कई बार वादी के बाह्मी बंटवारे उनको अपने नाम अलग से दर्ज करवाने बाबत कहने पर प्रतिवादीगण पहले तो हां करते रहे एंव आश्वासन देते रहे परन्तु अब भूमियों की बढती हुयी कीमतो के कारण एवं प्रतिवादीगण संख्या बल में अधिक होने के कारण वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण की गलत नजर हो गयी है तथा वादी को प्रतिवादीगण आये दिन हैरान परेशान करते रहे तथा धमकी देने लगे है कि हम संयुक्त खातेदारी की आड में वादी के बाह्मी बंटवारे में आयी हुयी भूमियों को दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगो को बैचान करेंगे तथा बाह्मी बंटवारे के अनसार वादी के हक हिस्से व अधिकार की भूमियो [illegible] नष्ट करेंगे तथा बाह्मी बंटवारा भंग कर वादी को [illegible] उपभोग में मजाहमत पैदा करने की धमकी देना चालू [illegible] जिनका किसी प्रकार का कोई अधिकार नही है। यदि प्रतिवादीगण अपनी बैजा [illegible]कतो में कामयाब हो जावेंगे तो वादी अनायास ही हैरान परेशान होकर दीगर मुकदमेबाजी बढ जावेगी। इसलिये

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.27 10:41:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण की उक्त गलत अवैध व मनमानी कार्यवाही को वादी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने का अधिकारी है तथा इस हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। दिनांक 01.08.2023 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त वर्णित भूमियों मे बाहमी बंटवारे अनुसार अपने हक हिस्से व अधिकार भूमि की खातेदारी वादी के नाम करने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण बंटवारा कराने से इन्कार हो गये। इसलिए वादकारण उत्पन्न होकर दावा दायर करना आवश्यक आया है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 397 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 398 रकबा 3.98 हैक्टर, खसरा नम्बर 438/2 रकबा 0.55 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.67 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम मानगढ़ पटवार मण्डल जुगराजपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का वादी एव प्रतिवादीगण को उक्त भूमियो का वाहमी बंटवारा अनुसार अलग से बट्टा नम्बर डाले जाकर नक्शे मे तरमीम करायी जाकर लगान भी अलग कायम किया जाकर अलग-अलग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु वाद वास्ते बंटवारा एव स्थाई निषेधाज्ञा वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की रजिस्टर्ड डाक से तामील होने के बावजूद कोई हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या-1 ता 7 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील वादी ने प्रकरण बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण मे पक्षकारान के विधिक हिस्से अनुसार विधिक विभाजन किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री किये जाने बावत् निवेदन किया एवं प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु आदेशिका पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमती व्यक्त की। वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री पर बहस एकपक्षीय सुनी गयी।

प्रकरण में दिनांक [illegible] 2023 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक [illegible]जन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम- 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.27 10:41:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प-51/2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 3269/रीडर/2023 दिनांक 31.10.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग-अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 66/भू.अ./2023 दिनांक 11.01.2024 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली संलग्न है।

वकील वादी ने प्रकरण में समस्त पक्षकारान् प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादी ने सहमत होते हुए उसके अनुसार वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन वकील वादी ने किया। वकील वादी ने प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव में अंकित विवरणानुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अतः वकील वादी की सहमति के आधार पर प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ।

-: कियात्मक आदेश :-

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए [illegible] श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा [illegible] 11.0[illegible]24 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा [illegible] के अनुसार [illegible] से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.27 10:41:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

राजस्व रिकार्ड के अनुसार खाते की स्थिति :-

	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार				
खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रू. में)
[illegible]	1. गिरधारी पुत्र मांगू हिस्सा 7/24 जाति माली सा. देह खातेदार राहिन हि. 7/24 (पूर्ण खाता) सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया शाखा अजीतगढ 2. रामनारायण पुत्र मांगू हिस्सा 7/24 जाति माली सा. देह खातेदार 3. श्री कृष्ण पुत्र मांगूराम हिस्सा 1/8 जाति माली सा. देह खातेदार राहिन 1/8 (पूर्ण खाता) बीआरकेजीबी शाखा अजीतगढ 4. सुरेश कुमार पुत्र मांगू हिस्सा 7/24 जाति माली सा.देह. खातेदार	397 398 438/2	0.14 3.98 0.55	बारानी-3 बारानी-3 बारानी-3	0.28 7.88 1.09
	योग खाता	कि[illegible] 3	4.67		9.25

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.27 10:41:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) * श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) *

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

मौके के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव :–

मौके के अनुसार विभाजन प्रस्ताव

काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान (रु. में)
वादी 1. गिरधारी पुत्र मांगू हिस्सा सम्पूर्ण जाति माली सा. देह खातेदार राहिन हि.(पूर्ण खाता) सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया शाखा अजीतगढ	398 / 2	1.33	बारानी–3	2.63
प्रतिवादी 1.रामनारायण पुत्र मांगू हिस्सा 7 / 17 जाति माली सा. देह खातेदार 2. श्री कृष्ण पुत्र मांगूराम हिस्सा 3 / 17 जाति माली सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 3 / 17 (पूर्ण खाता) बीआरकेजीबी शाखा अजीतगढ 3. सुरेश कुमार पुत्र मांगू हिस्सा 7 / 17 जाति माली सा.देह. खातेदार	398 / 1 398 / 4 398 / 3 397 / 1 438 / 2	2.47 0.14 0.04 0.03 0.55	बारानी–3 बारानी–3 बारानी–3 बारानी–3 बारानी–3	4.89 0.28 0.08 0.06 1.09
योग खाता	किता–4	3.23		6.40

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.27 10:41:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

1. गिरधारी पुत्र मांगू हिस्सा 7/24 जाति माली सा. देह खातेदार राहिन हि. 7/24(पूर्ण खाता) सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया शाखा अजीतगढ 2. रामनारायण पुत्र मांगू हिस्सा 7/24 जाति माली सा. देह खातेदार 3. श्री कृष्ण पुत्र मांगूराम हिस्सा 1/8 जाति माली सा. देह खातेदार राहिन 1/8 (पूर्ण खाता) बीआरकेजीबी शाखा अजीतगढ 4. सुरेश कुमार पुत्र मांगू हिस्सा 7/24 जाति माली सा.देह. खातेदार	397/2	0.11	बारानी–3	0.22

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.27 10:41:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
सवाईमाधोपुर (नीमकाथाना)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) सवाईमाधोपुर (नीमकाथाना)

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 66/भू.अ./23 दिनांक 11.01.2024 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

26/07/24

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/07/24

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.27 10:41:56 IST
Reason: SelfAttested